

उपरोक्त में उल्लेख नहीं करने से सम्बन्धित नहीं हो सका पत्रावली दि. 20/8/11 को वास्तु. 11/8/11 पेश हो।

उपरमण्ड अधिकारी
विजोलियाँ जि.-भीलवाडा

30.8.11

अभिभाषक उमरपट्ट उद्योग जवाब
देतु समझ जिते के माफक उमरपट्ट
जवाब माफक तक के उमरपट्ट
दि. 20.8.11 को पेश

20.9.2017

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उमरपट्ट उद्योग
वकील विपक्षी के प्रार्थनापत्र का जवाब प्रकृत
क्रिया। प्रति वकील प्रार्थी के उल्लेख गरी
प्रार्थनापत्र संक्षिप्त प्रकृति का होने के कारण
यही उमरपट्टकरण के बिना ही वरक प्रती पेश
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली के संलग्न उल्लेखित जानकारी के
अवलोकन के प्रार्थी के कोटेज की थी title विपक्षी
बालराम का ही प्रार्थी विपक्षी उमरपट्ट। ही प्रती
तक बालराम ही प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त
क्रिया थी विपक्षी के जवाब में संक्षिप्त क्रिया है
प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के कारण वताप ही उमरपट्ट थी
विपक्षी के कारण। के जिनके कारण उमरपट्ट प्रती
समझना है। इस तक ही प्रार्थी उमरपट्ट के
प्रकृत कारण के स्पष्ट होगी। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र
प्रार्थनापत्र ही प्रार्थी के कारण है। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र
प्रार्थनापत्र के विहित नहीं होने की संभावना

उपरमण्ड अधिकारी
विजोलियाँ जि.-भीलवाडा

